क्रम संख्या–193 (ड) पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 19 नवम्बर, 2018 ई0

कार्तिक 28, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 718 / IX-1 / 302(2007) / 2018

देहरादून, 19 नवम्बर, 2018

अधिसूचना / संशोधन

प0 आ0–92

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 28,65,96,111,138 एवं 176 के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–1397 / ix–1 / 302 / 2007 / 2016, दिनांक 16.12.2016 द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के हिन्दी संस्करण में परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से पूर्व प्रशिक्षण की अनिवार्यता सम्बन्धी नियम 12 के उप नियम 6 में किये गये संशोधन में राजकीय वाहन चालकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था में छूट प्रदान करने का प्रावधान त्रुटिवश छूट गया था।

2– अतः श्री राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 28,65,96,111,138 एवं 176 के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–1397 / ix–1 / 302 / 2007 / 2016, दिनांक 16.12.2016 द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के

हिन्दी संस्करण में नियम 12 के उप नियम 6 के स्तम्भ–2 के अन्त में निम्नवत् अंश जोड़े जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"परन्तु यह कि राजकीय वाहन चालकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था में छूट होगी"।

3– तदनुसार अधिसूचना संख्या–1397/ix–1/302/2007/2016, दिनांक 16.12.2016 द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के हिन्दी संस्करण के शेष प्रावधान यथावत् रहेगें।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 परिवहन/658–2018–100+50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।